रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2000/कार्तिक 29, 1922
No. 585] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2000/KARTIKA 29, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 878(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उसे उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है; विचार किया जाएगा।

किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर जो ऊपर विनिर्दिष्ट की गई अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किसा जायगा। आक्षेपों या सुझावों को, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में (जिसे इसमें आगे मूल नियम कहा गया है), प्रविष्टि "ख" में,—

(क) मद क 18.06 में, अन्त में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"पिसाई/प्रसंस्करण के लिए आशावित खाद्यान्य साफ, सभी अपद्रव्यों से जिसके अन्तर्गत विजातीय पदार्थ (बाह्य पदार्थ) भी है, मुक्त होगा।";

(ख) प्रत्येक मद क. 18.06.01, क. 18.06.02, क. 18.06.03, क. 18.06.05, क. 18.06.06, क. 18.06.07, क. 18.06.08, क. 18.06.09, क. 18.06.10, क. 18.06.11, क. 18.06.12, क. 18.06.13, और 18.06.14 में—

(1) मानक (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मानक रखा जाएगा, अर्थात्—

"(ii)	विजतीय पदार्थ (बाह्य पदार्थ)	भार के आधार पर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसका भार के आधार पर 0.25 प्रतिशत से अनधिक धातु पदार्थ होगा तथा भार के आधार पर 0.10 प्रतिशत से अनधिक प्राणी उद्गम के उपद्रव्य होंगे।";

(2) मानक (viii) का लोप किया जाएगा;

(ग) मद क. 18.06.04 में,—

(1) मानक (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मानक रखा जाएगा, अर्थात्—

"(ii)	विजतीय पदार्थ (बाह्य पदार्थ)	भार के आधार पर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसका भार के आधार पर 0.25 प्रतिशत से अनधिक धातु पदार्थ होगा तथा भार के आधार पर 0.10 प्रतिशत से अनधिक प्राणी उद्गम के उपद्रव्य होंगे।";

(2) मानक (vii) का लोप किया जाएगा;

[सं. 15014 (11) 2000-पी.एच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955 का. नि. आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 770(E) दिनांक 4-10-2000 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2000

G.S.R. 878(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section (1) for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force after the expiry of three months from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the principal rules), in Appendix 'B';

(a) in item A. 18.06, the following shall be inserted at the end, namely ;—
"The foodgrains meant for grinding/processing shall be clean, free from all impurities including foreign matter (extraneous matter).";

(b) in each of the items A. 18.06.01, A. 18.06.02, A. 18.06.03, A. 18.06.05, A. 18.06.06, A. 18.06.07, A. 18.06.08, A. 18.06.09, A. 18.06.10, A. 18.06.11, A. 18.06.12, A. 18.06.13, and A. 18.06.14,—

(1) for standard (ii), the following standard shall be substituted, namely :—

"(ii)	Foreign matter (Extraneous matter)	—	Not more than 1 per cent by weight of which not more than 0.25 per cent by weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent by weight shall be impurities of animal origin.";

(2) Standard (viii) shall be omitted;

(c) in item A. 18.06.04,—

(1) for standard (ii), the following standard shall be substituted, namely :—

"(ii)	Foreign matter (Extraneous matter)	—	Not more than 1 per cent by weight of which not more than 0.25 per cent by weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent by weight shall be impurities of animal origin.";

(2) Standard (vii) shall be omitted.

[No. P. 15014/11/2000-PH(Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated the 12th September, 1955 and were last amended vide G.S.R. 770(E) dated the 4-10-2000.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.